FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
रामदास बनाम सीताराम वगै0 मु0नं0 556 सन 2022 जीसीएमएस नं.

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2022	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री आनन्दी लाल सैनी** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उददेशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को जबाब पेश किये जाने तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2622 रकबा 0.44 हैक्ट. अवस्थित ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी / प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.10.2022 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Scanned with OKEN Scanner

14/10/2? पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/11/22 को पेश हो।

24/11/22 वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1,2,3,6 की तामील सम्यक रूप से होना पायी जाती है। बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी सं. 4,5 की तामील रिपोर्ट फौत होने की प्राप्त हुयी। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 4,5 के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश करें। पत्रावली दिनांक 16/1/23 को पेश हो।

16/1/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/3/23 को पेश हो।

24/03/23 वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 4,5 के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश करें। पत्रावली दिनांक 29/05/2023 को पेश हो।

29/5/23 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 21/7/23 नियत की जाती है।

21/7/23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/10/23 को पेश हो।

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज

18/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 07/3/24 को पेश हों।

2

7/3/24 पत्रावली पेश हुई। [illegible] ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/3/24 को पेश हो।

11/3/24 पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवायी गयी। आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

[illegible]

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner